

चीन, रुस नॉर्थ कोरिया व ईरान, एस.सी.ओ. के नये ‘‘कोर ग्रुप’’ के रुप में उभरा

भारत, इस नई व्यवस्था का महत्वपूर्ण सदस्य तो हैं, पर ‘‘कोर ग्रुप’’ से अलग सा भी हैं

—अंजन रॉय—
—अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि—
वॉशिंगटन, 2 सितम्बर। शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) कभी ऐसा संगठन माना जाता था, जिसकी सालाना बैठक होती तो थी, लेकिन उनका कोई खास महत्व नहीं होता था। तथापि, इस बार चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में हो रही बैठक पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है और यह एलान कर रही है कि एक नया वैश्विक ढांचा बन रहा है, और जो मिलकर एक ऐसी ताकत बनने जा रहा है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। यह वैकल्पिक व्यवस्था, जो अब तक अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबदबे में थी, अब पूरी तरह चीन के इर्द-गिर्द घूम रही है। इससे साफ हो गया है कि चीन अब अमेरिका का असली मुकाबला करने वाली ताकत बन चुका है और राष्ट्रपति क्लादिमीर पुतिन, जो बीजिंग में एस.सी.ओ. बैठक में भाग ले रहे हैं, के लिए यह स्थिति बेहद दुखद

- साह्राईद व मैत्री के सार्वजनिक इज़हार के बावजूद चीन व भारत के बीच कई भारी मतभेद भी हैं, जिनकी अनदेखी सदा के लिये नहीं की जा सकती।
- अतः अमेरिका व पश्चिमी देशों के समूह व चीन के नेतृत्व वाले एस.सी.ओ. संगठन के बीच भारत अकेला सा खड़ा है।
- कुछ ऐसी ही स्थिति रूस की है। जो, शीत युद्ध के जमाने के ‘‘सुपर पावर’’ के गरिमापूर्ण पद से अब केवल चीन की ओर देखने वाला राष्ट्र हो गया है। जो चीन की ओर, धन, हथियार व स्पेयर पार्ट्स के लिये देखता है। रूस, ईरान का भी आभारी है, क्योंकि ईरान द्वारा भेजे गए आधुनिक ‘‘ट्रोन्स’’ की उसे बहुत आवश्यकता है, यूक्रेन के ‘‘फायर पावर’’ का मुकाबला करने के लिये। नॉर्थ कोरिया भी ‘‘कोर ग्रुप’’ का महत्वपूर्ण सदस्य इसलिए है, क्योंकि, उसने रूस की तरफ से लड़ने के लिये कोरिया से अपने सैनिक भेजे हैं।
- एक अजीबोगरीब बात यह भी है कि अमेरिका का प्रयास था, कि वह रूस को अलग-थलग कर देगा देशों की अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत से। पर, उल्टा हो गया। अमेरिका, अलग-थलग पड़ गया है, और यूरोप व पश्चिमी देशों के बाड़े में कैद हो गया है, तथा रूस, कम्ज़ोर ही सही ‘‘अन्य देशों’’ की मंडली में आराम से बैठा है।

है। वह एक तरह से चीन के अधीनस्थ दिखाई दे रहे हैं। रूस अब चीन पर निर्भर रहने वाला देश बनता जा रहा है।

राष्ट्रपति पुतिन ने जो सपना देखा था, रूस को ‘‘शाही ताकत’’ को फिर से पाने और अमेरिका को टक्कर देने वाली

एकमात्र महाशक्ति बनने का, वह बिल्कुल उल्टा साबित हुआ है। अब रूस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आठ साल से भू-अभिलेख निरीक्षण पदोन्नति परीक्षा क्यों नहीं हुई?

‘कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से हमें हराने के लिए भाजपा की मदद की’

आप की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने प्रैस कांफ्रेंस में कांग्रेस पर खुला आरोप लगाया

— जाल खंबाता —
— राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो —
नई दिल्ली, 2 सितम्बर। दिल्ली में भाजपा लम्बे समय से आम आदमी पार्टी (आप) की मुख्य प्रतिद्वन्दी रही है। लेकिन आप ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछले लगभग एक दशक से चुनावी रूप से हाशिये पर रही कांग्रेस को अपने निशाने पर ले लिया। इस राजनीतिक टकराव की जड़ दिल्ली नहीं, बल्कि पंजाब है, जो देश का ऐसा एकमात्र राज्य है, जहां फिलहाल आप की सरकार है। आप ने कांग्रेस पर तीखा हमला दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के एक इंटरव्यू के बाद किया, जिसे आप के सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा किया गया। वीडियो में यादव यह कहते हुए सुने गए कि पार्टी ने आप को हराने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा भाजपा को हुआ। यादव ने पार्टी

- उन्होंने कहा कांग्रेस ने आप को हराने के लिए आप के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपने दिग्गज नेता खड़े किए जैसे केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित, मनीष सिंसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी, आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को मैदान में उतारा गया।
- आप ने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के इंटरव्यू के आधार पर यह सनसनीखेज आरोप लगाया और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया।

की रणनीति का खुलासा करते हुए कहा, ‘‘अगर आप को हराना है, तो मनीष सिंसोदिया, और अरविंद केजरीवाल को हराना जरूरी है। इसमें हम कुछ हद तक सफल रहे हैं।’’ जब उनसे पूछा गया कि अगर इसके चलते भाजपा को फायदा हुआ तो क्या वह स्वीकार्य होगा तो यादव ने जवाब दिया, ‘‘सैंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में यह बात खड्गे जी

और राहुल गांधी जी से हुई चर्चा में आई थी और हमने तय किया था कि हमें पूरी ताकत से लड़ना चाहिए।’’

इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, आप की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे एक ‘‘बड़ा रहस्योद्घाटन’’ बताया तथा उन्होंने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर, 2 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के आठ साल बाद भी पटवारी के पद से भू-अभिलेख निरीक्षक पद पर प्रमोशन के लिए होने वाली विभागीय परीक्षा नहीं

- हाई कोर्ट ने रैवेन्यू बोर्ड के रजिस्ट्रार को 8 सितंबर को शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिये।

होने पर रैवेन्यू बोर्ड के रजिस्ट्रार से शपथ पत्र पेश करने को कहा है। अदालत ने 8 सितंबर तक को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि बोर्ड ने साल 2017 के आदेश और 7 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी होने पर भी विभागीय पदोन्नति के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित क्यों नहीं करवाई। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश विवेक शर्मा की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय दत्त शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने 26 जुलाई 2017 को सतीश सिंह बनाम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अदालत के आदेश के बाद भी कर्मचारी के बकाया का भुगतान क्यों नहीं हुआ’

जयपुर, 2 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बकाया भुगतान नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि 11 सितंबर को याचिकाकर्ता को बकाया भुगतान करने का दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश किया जाए। ऐसा

- हाई कोर्ट ने कहा 11 सितम्बर तक भुगतान करें या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से हाजिर हों।

नहीं करने पर अदालत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और निदेशक को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश गुलाब सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने अदालत ने को बताया कि अदालती आदेश की पालना में वित्त विभाग से स्वीकृति लेकर याचिकाकर्ता को 1 अप्रैल, 1997 से सेवा में नियमितिकरण का लापस दिया गया है। वहीं याचिकाकर्ता ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील की जमानत याचिका खारिज की

ये दोनों 2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश रचने के मुख्य आरोपी हैं

— डॉ. सतीश मिश्रा —
— राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो —
नई दिल्ली, 2 सितम्बर। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2020 के दंगों की कथित साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं एक बार फिर खारिज कर दीं।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर को पीठ ने इस मामले से जुड़ी सभी अपीलों को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी।

जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के लिए यह छठी बार था जब उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। इससे पहले वे तीन बार सत्र न्यायालय, दो बार दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो चुकी हैं, और एक बार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें याचिका वापस लेनी पड़ी थी।

- दिल्ली पुलिस के वकील तुषार मेहता ने इस मामले में कहा कि उन्होंने साज़िश रचकर दंगा भड़काया था, देश की छवि खराब करने के लिए। बेहतर होगा कि बरी होने तक वे जेल में ही रहें।

- जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी के छात्र नेता उमर खालिद का जमानत पाने का यह छठा असफल प्रयास था।

इस मामले में अन्य आरोपियों में अथर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं।।

उमर खालिद ने गत माह अपना 38वां जन्मदिन पिछले महीने तिहाड़ जेल में मनाया, जहां वे पिछले पांच वर्षों से बंद हैं।

जुलाई 2025 में हाई कोर्ट ने उमर और अन्य आरोपियों की वर्ष 2022, 2023 और 2024 में दायर

जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब खारिज कर दिया गया है।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा था, अगर आप देश के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो जब तक आप बरी नहीं होते या दोषी नहीं ठहराए जाते, तब तक आपको जेल में रहना चाहिए। राजधानी में दंगे हुए, जिनमें 100 पुलिसकर्मी और 41 अन्य घायल हुए और एक पुलिसकर्मी की जान गई।

अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह दंगे स्वतःस्फूर्त नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा थे, जिनका उद्देश्य समाज में विघटन और अराजकता फैलाना था।

उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य पर पैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। उन पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

अफगानिस्तान में 24 घंटे में ही दूसरा भूकंप

काबुल, 02 सितंबर। अफगानिस्तान में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मंगलवार को दक्षिण-पूर्वी हिस्से में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले अफगानिस्तान के जलालाबाद में रविवार रात 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था।

भूकंप से मरने वालों की संख्या

- भूकंप से अब तक 1411की मौत हो गई हैं और 3250 लोग घायल हो गए हैं। दूसरे भूकंप की तीव्रता 5.5 थी।

अब तक 1411 हो गई हैं, जबकि घायलों का आंकड़ा 3250 से ज्यादा हो गया है। रविवार को जिस वक्त भूकंप आया, तब ज्यादातर लोग सो रहे थे, इस वजह से वे इमारतों के मलबे में दब गए। मुताबिक तालिबान ने इसकी जानकारी दी है।

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दुनियाभर से मदद मांगी है। इसके बाद भारत ने मदद के लिए 1000 टेंट काबुल भेजे हैं। साथ ही, 15 टन खाने का सामान, काबुल से कुनार भेजा। भारत की ओर से अफगानिस्तान के भूकंप प्रभावितों की सहायता के लिए भेजी गयी सहायता सामग्री मंगलवार को काबुल पहुंच चुकी।

हाई मार्ग से भेजी गयी सहायता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)